



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-415

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 327942 दिनांक 24/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	NARMDA CONSTRUCTION AS PROPRIETOR Kishore Saini S/o Chhoga Lal Saini एवं NIRMAN ENTERPRISES AS PROPRIETOR Tarun Hiralal Varma NIRMAN ENTERPRISES AS PROPRIETOR S/o HIRALAL BIRDI CHAND VARMA	श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री महेश चन्द गर्ग	91	344.62 SQ. YARD	Private	KRISHNA SAROVER	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की आवासीय योजना कृष्णा सरोवर के भूखण्ड संख्या 91 क्षेत्रफल 344.62 वर्ग गज का पट्टा दिनांक 06.10.2009 को श्री दीपक गुप्ता पुत्र श्री महेश चन्द गर्ग के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात इनके द्वारा श्रीमती मिथलेश कुमारी गर्ग पत्नी श्री संतोष गर्ग को रजि0 मु.आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्रीमती मिथलेश कुमारी गर्ग द्वारा उक्त सम्पूर्ण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2024 के माध्यम से श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी सहाय लुहाडिया, श्री सुनील कुमार



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल एवं श्री रौनक सुराणा पुत्र श्री विकास सुराणा को बैचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 91 क्षेत्रफल 344.62 वर्ग गज में से भूखण्ड संख्या 91(साउथ वेस्ट पार्ट) क्षेत्रफल 127.95 वर्ग गज जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2026 के माध्यम से नर्मदा कन्स्ट्रक्शन जरिये प्रोपराईटर श्री किशोर सैनी पुत्र श्री छोगालाल सैनी एवं निर्माण एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर श्री तरूण हिरालाल पुत्र श्री हिरालाल बिरदी चन्द वर्मा को बैचान कर दिया गया। वर्तमान में इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का उपविभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. NARMDA CONSTRUCTION AS PROPRIETOR Kishore Saini S/o Chhoga Lal Saini एवं NIRMAN ENTERPRISES AS PROPRIETOR Tarun Hiralal Varma NIRMAN ENTERPRISES AS PROPRIETOR S/o HIRALAL BIRDI CHAND VARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |